

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म

कैलाश वर्मा बनाम मदन उर्फ बरती वगैरे

मुं.- 98/25 -

किस्म - T.I

नम्बर
अहकाम
की तारीख
हुए

स्वागत रखा गया जिससे न्यायिक कार्य भी हो सका। पत्रावली प्रकाशित दिनांक 19.02.26 को पेश की।

19.02.26

आभिभाषको द्वारा न्यायिक कार्य को स्वागत रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-4-26 को पेश हो।

09.4.26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आवेष्टित/ वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी गण के लक्ष्मीले पेश नहीं की। लक्ष्मीले अन्वय रूप से पेश हो। पत्रावली वाले लक्ष्मी अन्वय दिनांक 20.4.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

20.4.26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आवेष्टित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी गण की लक्ष्मीले पेश नहीं की। समय चारा। न्यायिक में अन्वय अवसर दिया जाता है। पत्रावली वाले लक्ष्मी अन्वय अप्रार्थी गण दिनांक 06.05.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

06.05.26

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के चार-2 भाषाज दिल्पाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली लम्बे समय से लक्ष्मी में लक्ष्मीले पेश की। चार-2 दिनांक के वाक्य भी अप्रार्थी गण के द्वारा अप्रार्थी गण की लक्ष्मीले पेश नहीं की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

कुंभाक्षी वर्मा बनाम मदन उर्फ वस्ती वर्मा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए

मु.नं.-

किस्म -

इसे निदेशों की अपेक्षा ही गई। इसके स्पष्ट
है कि प्राथमिक प्रजापती में कोई भी कार्यवाही
के लिए रकबुद नहीं है। इसलिए प्रजापती प्राथमिक
की अदम दायरी व अदम पंरकी में शोरिज की
जाती है। प्रजापती में दिनांक 16.09.2025 को
जाती अन्तरिम अर्थात् निषेधाज्ञा के प्रचलन
को समाप्त किया जाता है। प्रजापती कोसल
शुभार हेतु साखिल इफल है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)